

न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या 79 / 2021

माला चौधरी वगैरे बनाम राजपुत्र मंडल वगैरे

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस

स्थानीय पुलिस सरिया

थाना से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसरित किया गया है, के

अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि

उभय पक्षों में भूमि से संबंधित

विवाद

के कारण उभय पक्ष के बीच शांति-भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर है, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति-भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों में आलोक में उभय पक्ष के विरुद्ध धारा 144 दं० प्र० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्ष को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्ष से दिनांक 24/06/2021 के कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

विवादाग्रस्त भूमि का विवरण

ग्राम - बड़की सरिया, थाना - सरिया, जिला - गिरिडीह
 खाला सं० 182/1646 प्लॉट सं० 1303 खवा. 3.12.80
 पट्टा सं० नौप, 450 नन्दलाल मंडल वगैरे, बूट - नाली

लेखापित्री

धनु 4030 -

बगोदर - सरिया

धनु 4030 - 24/6/2021
 बगोदर - सरिया

24/06/21 अधिलेख उपस्थापित। प्रथम पल-उपरा।

द्वितीय पल अनुग

अधिलेख 15/08/21 को रखा।

15/08/21 उपय पल उपस्थापित। द्वितीय पल-के

द्वारा कारणपूर्वक दारित किया गया है।
For argument put up on 29/08/21.

15/08/21

29/08/21 अधिलेख उपस्थापित। उपय पल उपस्थापित।

अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से आप-अलग है।

अधिलेख दिनांक 05/08/21 को रखा।

व्यक्तिगत प्रमाण

अधिलेख दिनांक 11/08/21 उपस्थापित। अनुग 15/08/21

अधिलेख दिनांक 20/08/21 उपस्थापित। उपय पल उपस्थापित।

05/08/21 प्रथम पल उपस्थापित। द्वितीय पल अनुग

For order on 12/08/21

12/08/21

Handwritten notes and signatures at the bottom left corner.

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12/08/21	<p>∴ Today is fixed for passing order on the petition filed by the first party. Perused the petition of the petitioner as well as the show caused filed by the O.P. and carefully considered. Seen the report of the police. After initiation of proceedings there is not no report of breach of peace from either side. Earlier no order has been passed u/s 144(i) Cr. P.C. The period of 60 days from the initiation of proceedings has passed. Hence it is ordered that instance case is filed.</p> <p style="text-align: right;">12/08/21 SDM</p>	